

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2013—आश्विन 13, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-22-05-2008-आठ.—परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2013 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, विधान सभा चुनाव, 2013 की घोषणा से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने तक अस्थायी रूप से यान पर निम्नानुसार प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है:—

(क) यान के अग्र शीर्ष भाग पर, **लाल बत्ती**
(1)

(ख) यान के अग्र शीर्ष भाग पर, **पीली बत्ती**
(2)

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

1. अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/ सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत प्रेक्षक व प्राधिकृत
उच्च अधिकारीगण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.